तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
14.05.2024	पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ौसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुये, उनकी की उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा अनोपपुरा पट[illegible] बड़ावली तहसील निम्बाहेड़ा की खाता [illegible] 157 रकबा 2.3900 हैक्टेयर, कुल कि[illegible] 1 कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये ब[illegible] नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की [illegible]वें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] अधिकारी निम्बाहेड़ा	No objection

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:35:18 IST
Reason: SelfAttested